

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्र : राजस्व/खाला/26/1827

दिनांक :- 6.2.2024


आदेश

संगरिया धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी संदीप सिंह पुत्र जगजीत सिंह, भेजर सिंह, गमदूर सिंह पिसरान हरनेक सिंह जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 14 एमकेएस 172/238 मु.न. 44 किला नम्बर 10/2, 11/2, 20/2, 21/2, प.न. 171/239 मु.न. 45 प.न. 16/2 गै.मु. खाला के स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक ए.2/डी/खा-रा/बा-नह अ./2025/4351 दिनांक 06.11.2025 द्वारा चक 14 एमकेएस प.न. 172/238 मु.न. 44 प.न. 10/2/0.025 गै.मु.खाला 11/2/0.025 गै.मु.खाला 20/2/0.025 गै.मु. खाला, 2/0.025 गै.मु.खाला, प.न. 171/239 मु.न. 45 किला नम्बर 16/2/0.025 गै.मु.खाला व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौके पर उक्त बीघा में खाला चलायमान नहीं होना बतलाते उक्त गै.मु.खाला का निरस्त कर मुमकिन दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई एवं अधिशाषी जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 4022 दिनांक 04.02.2026 द्वारा चक 14 एमकेएस (विभागीय चक प्लान अनुसार चक 4 डीपीएम) प.न. 172/238 के किला नं. 10,20,21 एव प.न. 171/239 के किला नं. 16 में कोई जलमार्ग स्वीकृत नहीं होना एव न ही प्रकरण विचाराधीन होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया उक्त गै.मु. प्रश्नगत जलमार्ग का संबंधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा होने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।


  
(जय कौशिक)  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

दिनांक :- 6.2.2024

क्र :- सम/1828

लिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़।
3. श्री.....।

  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया